न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10 / 2021(उदयपुरआर्डर)

बालकृष्ण व्यास पुत्र गुलाबराम व्यास, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नानालाल पुत्र भगवानलाल नागदा, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हरिशंकर पुत्र डाडमचन्द नागदा, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नारायणलाल पुत्र कमलाशंकर नागदा, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कृष्णदत्त पुत्र भूरीलाल नागदा, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. पुरूषोत्तम पुत्र देवाराम नागदा, निवासी गांव बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. नारायणलाल पुत्र गुलाबराम व्यास, निवासी बुझडा हाल हनुमान घाट, चांदपोल बाहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. अम्बा शंकरपुत्र गुलाबराम व्यास, निवासी बुझडा हाल जेठियों की बाडी, टीचर्स कॉलोनी, अम्बामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती विष्णु बाई पुत्री गुलाबराम व्यास, निवासी सीसारमा, वैद्यनाथ मन्दिर के पास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी गिर्वा प्रकरण संख्या 71 / 2018दिनांक24.02.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री पवन सिंघलअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री कमलेश दाणी अभि. रे.सं. 1 से 5
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 23–01–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव बुझडा में वादी संख्या 1 के नाम आराजी नंबर 494 रकबा 0.1100 हैक्टर, वादी संख्या 2 के नाम आराजी नंबर 1010 रकबा 0.1700 हैक्टर, वादी संख्या 3 के नाम आराजी नंबर 1003 रकबा 0.0450 हैक्टर, 1004 रकबा 0.1250 हैक्टर, 1005 रकबा 0.0150 हैक्टर व आराजी नंबर 1011 रकबा 0.1600 हैक्टर, वादी संख्या 4 के नाम आराजी नंबर 499 रकबा 0.1050 हैक्टर, 501 रकबा 0.2300 हैक्टर, 504 रकबा 0.0300 हैक्टर दर्ज है तथा आराजी नंबर 495 रकबा 0.2400 हैक्टर वादी संख्या 4 के आधिपत्य में अदला बदली के विलेख के जरिये है, किन्तु खाते में वादी संख्या 4 के नाम अभी भी नहीं हुई है। वादी संख्या 5 के नाम आराजी नंबर 496 रकबा [illegible] हैक्टर भूमि दर्ज है। उपरोक्त आराजियात वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर वादीगण अपनी आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:26 IST
Reason: SelfAttested

1059 से आते जाते हैं, जो रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर 30 फिट चौड़ा है, लेकिन आराजी नंबर 1059 प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 1000 पर जाकर खत्म हो जाता है। प्रतिवादीगण की इस आराजी के पास कुल 5 आराजियात स्थित हैं। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 1000 में मौके पर स्थित रास्ते से होकर आराजी नंबर 1012 व 1013 के बीच राजकीय नक्शे में मौजूद पाली डोली से अपने खेतों पर आते जाते हैं एवं उक्त रास्ते का अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु 3–4 वर्षो से प्रतिवादीगण बार–बार उक्त रास्ते को बन्द करने की कोशिश करते हैं तथा पत्थर की कोट बनाने की कोशिश की। वादीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 1000 एवं आराजी नंबर 1012 व 1013 के मध्य रास्ते को राजकीय दस्तावेज में रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादीगण जबरदस्ती दबाव बनाकर आराजी नंबर 1000 में रास्ता बनाना चाहते हैं। आराजी नंबर 1000 पर कोट बाप–दादाओं के समय से बनी हुई है। उक्त आराजियात में आने–जाने का रास्ता नदी में से होकर जाता है, जिसका सभी लोग उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–05–2017 को रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04–06–2018 को प्रकरण पुनः उभयपक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकरअपने निर्णय दिनांक 24–02–2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रस्वीकार किया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब कियेजाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री कमलेश दाणी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8, 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वास्तविक स्थिति को देखे मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित [illegible]। यदि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित करना था, सो आदेश दिनांक [illegible]–05–2017 की अपील का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:26 IST
Reason: SelfAttested

औचित्य ही नहीं रहा जाता है, न ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–06–2018 का कोई औचित्य रह जाता है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में आराजी नंबर 1012 व 1013 के बीच पाली डोली होना अंकित किया है, जबकि इनके मध्य कोई पाली डोली नहीं है, क्योंकि दोनों खेत एक ही हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 का रास्ता उत्तर दिशा में स्थित नदी वाले रास्ते से कुंए की सेहरी से होकर जाता है, जिसका वह अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग करते रहे हैं। यदि पटवारी रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्ट की काश्त पूरी तरह बर्बाद हो जायेगी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पास अपनी आराजी में आने–जाने हेतु पर्याप्त वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपीलान्ट की आराजी से जबरन रास्ता चाहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् जो निर्णय पारित किया है, वह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 12–05–2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 मे केम्प कोर्ट के दौरान अधिनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारामौके पर पुराना रास्ता होना पाया गया।अपीलान्ट द्वारा आपत्ति करने पर तहासीलदार, गिर्वा द्वारा पुनः स्वंय मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दिनांक 27–01–2021 को प्रस्तुत किया। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में तहसीलदार गिर्वा ने विवादित आराजीयात पर आने–जाने हेतु पीले रंग से अलग–अलग संभावित रास्तों को दर्शाया हैं। साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मेंप्रार्थीगण अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पास अपने खाते की भूमि में आने–जाने हेतुअन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना दर्ज कराया।ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने स उसमें हम किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–02–2021यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:26 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर